सार्वजनिक सूचना

इसके द्वारा जनता को सूचित किया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पत्र संख्या **DEL.DOR.NBFCBL. No.S540/24-03-462/2026-2027** दिनांक **25 जून, 2026** के माध्यम से दी गई पूर्व स्वीकृति के अनुसार, **गोपी सिक्योरीटीज प्राइवेट लिमिटेड** ("कंपनी"), आरबीआई-पंजीकृत गैर-जमा लेने वाली **NBFC** (जिसका **COR No. B-14.02492** है), के प्रबंधन में प्रस्तावित परिवर्तन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।

कंपनी का **CIN: U74899DL1994PTC062391** है, और इसका पंजीकृत कार्यालय **कॉटेज-13ए, फ्लैट नं. जी-5, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत – 110008** में स्थित है।

प्रस्तावित लेनदेन में शामिल हैं:

1. **श्री सोनू गिरी, श्री निरंजन राय** को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

प्रस्तावित लेनदेन पर कोई भी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **30 दिनों** के भीतर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या **info@gopisecurities.com** पर कंपनी को सूचित की जा सकती है।

द्वारा
गोपी सिक्योरीटीज प्राइवेट लिमिटेड

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयान कंपाउंड, वेरावल, गुजरात – 362266
शाखा कार्यालयः आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड नंबर एन/17, प्रथम तल, विजया बिल्डिंग बाराखंभा रोड, नई दिल्ली – 110001

1. एबीएचएफएलः प्राधिकृत अधिकारीः श्री करन अरोड़ा – 9711246064
2. नीलामी सेवा प्रदाता (एएसपी): – मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. (ऑक्शनटाईगर) श्री राम शर्मा – संपर्क संख्या 8000023297 और 9265562819

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री की ई-नीलामी बिक्री सूचना

आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित है, दिनांक 01.08.2025 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में प्राप्त ऋणों के वर्गीकरण पर, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) (जिसे आगे 'उक्त अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 13(2) के अंतर्गत 18.08.2025 को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उधारकर्ता(ओं) से देनदारियों 18.08.2025 तक पूर्ण निर्वहन 60 (साठ) दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर करने का आह्वान किया गया है, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 11.04.2026 को ले लिया गया है के **उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) अर्थात् सोनू और रेणु शर्मा** से आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार की बकाया राशि रु. 19,70,846/– (रु. उन्नीस लाख सत्तर हजार आठ सौ छियालीस मात्र) और वसूली की तिथि तक उस पर आगे का ब्याज और अन्य खर्च इत्यादि की वसूली हेतु संपत्ति को नीलामी के माध्यम से "जहां है जैसी है", "जो है जैसी है" तथा "जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक **27.07.2026** को बेचा जाएगा।

आरक्षित मूल्यः रु. 16,00,000/– (रु. सोलह लाख मात्र) और बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 1,60,000/– (रु. एक लाख साठ हजार मात्र) होगा। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 25.07.2026 है। उक्त संपत्ति की निरीक्षण की तिथि 24.07.2026 को सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे के बीच तय की गई है।

अचल संपत्ति का विवरण

मकान नंबर 161 का पूर्ण हिस्सा और टुकड़ा जोकि वार्ड नंबर 03, भूमि क्षेत्रफल 3.30 मरला (यानी 100 वर्ग गज), खेवट नंबर 33एम में से, खाता नंबर 34, म्यू नंबर 107, किला नंबर 9/2/1/2(0-15) और मुस्त नंबर 107, किला नंबर 11/2(6-2),खौटा मंदिर के पास, कृष्णा कॉलोनी, पलवल, बस स्टैंड, पलवल, फरीदाबाद, हरियाणा – 121102, और सीमाएं: पूर्वः 6 फुट चौड़ी गली (यादराम शर्मा), पश्चिमः महावीर प्रसाद का मकान, उत्तरः चुन्नीलाल का मकान, दक्षिणः बलबीर का मकान

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट में दिए गए लिंक यानी **https://homefinance.adityabirla capital.com/properties-for-auction-under-sarfaesi-act** या **https://sarfaesi.auctiontiger.net** को देखें।

दिनांकः 05.07.2026, स्थानः फरीदाबाद, हरियाणा
प्राधिकृत अधिकारी, आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयान कंपाउंड, वेरावल, गुजरात – 362266
शाखा कार्यालयः आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यूनिट नं. 710ए, 7वीं मंजिल, कॉर्पोरेट पार्क, बी-109, संजय प्लेस, आगरा –282002

1. एबीएचएफएलः प्राधिकृत अधिकारीः श्री अमनदीप तनेजा – 9711246064
2. नीलामी सेवा प्रदाता (एएसपी): – मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. (ऑक्शनटाईगर) श्री राम शर्मा – संपर्क संख्या 8000023297 और 9265562819

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री की ई-नीलामी बिक्री सूचना

आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित है, दिनांक 01.11.2024 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में प्राप्त ऋणों के वर्गीकरण पर, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) (जिसे आगे 'उक्त अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 13(2) के अंतर्गत 18.11.2024 को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उधारकर्ता(ओं) से देनदारियों को 18.11.2024 तक पूर्ण निर्वहन 60 (साठ) दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर करने का आह्वान किया गया है, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 14.05.2026 को ले लिया गया है के **उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) अर्थात्** विजय कुमार गोयल, संतोष गोयल और मैसर्स वंश मोबाइल से आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड / सुरक्षित लेनदार की बकाया राशि रु. 16,18,881.34 (रु. सोलह लाख अट्ठारह हजार आठ सौ इक्यासी और पैसे चौतीस मात्र) और वसूली की तिथि तक उस पर आगे का ब्याज और अन्य खर्च इत्यादि की वसूली हेतु संपत्ति को नीलामी के माध्यम से "जहां है जैसी है", "जो है जैसी है" तथा "जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक **27.07.2026** को बेचा जाएगा।

आरक्षित मूल्यः रु. 11,00,000/– (रु. ग्यारह लाख मात्र) और बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 1,10,000/– (रु. एक लाख दस हजार मात्र) होगा। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 25.07.2026 है उक्त संपत्ति के निरीक्षण की तिथि 24.07.2026 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे के बीच निर्धारित की गई है।

अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय फ्लैट संख्या 22–जी का संपूर्ण भाग और हिस्सा जोकि भू–तल जिसका क्षेत्रफल 563.82 वर्ग फीट प्लॉट संख्या–22 खसरा संख्या 1, 2, 4, 5 और 6, अनुपम वाटिका, मौजा–मघताई, आगरा, उत्तर प्रदेश– 282001, और जिसकी सीमाएँ: पूर्वः 7.50 मी. चौड़ा रास्ता, पश्चिमः अन्य भूमि, उत्तरः फ्लैट संख्या 21–जी, दक्षिणः फ्लैट संख्या 23–जी.

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट में दिए गए लिंक यानी **https://homefinance.adityabirla capital.com/properties-for-auction-under-sarfaesi-act** या **https://sarfaesi.auctiontiger.net** को देखें।

दिनांकः 05.07.2026, स्थानः आगरा
प्राधिकृत अधिकारी, आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

YES BANK

पंजीकृत कार्यालय : यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई, 400 055 ; अन्य पताः यस बैंक लिमिटेड, द्वितीय तल, यूनिट नं. जी/3, 102-103, सी.जी. सेंटर, सी.जी. रोड, अहमदाबाद-380009

कब्जा सूचना

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 के अंतर्गत यस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत आधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवाली,2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 09-04-2026 को एक मांग सूचना जारी कर ऋणधारको 1. **कश्यप शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड और उनके सभी निदेशकों, 2. सावित्री देवी ओमप्रकाश कश्यप, 3. राजीव ओमप्रकाश कश्यप, 4. संतोष पांडे को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उन्हें मांग सूचना में वर्णित राशि रु. 9,69,50,264.75/– (रुपये नौ करोड़ उनहत्तर लाख पचास हजार दो सौ चौंसठ और पचहत्तर पैसे मात्र)**, जो कि दिनांक 09-अप्रैल-2026 तक देय है तथा उपरोक्त राशि पर 10-अप्रैल-2026 से भुगतान और/या वसूली की तारीख तक अनुबंधित दरों पर आगे के ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि वापस लौटने का निर्देश दिया था उपरोक्त उल्लिखित ऋणधारक पूरी राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारको को सूचित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरी ने आज 04/07/2026 को उक्त नियमवाली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है

विशेष रूप से संबंधित ऋणधारकों आम जनता को सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय दिनांक 09-अप्रैल-2026 तक रु. 9,60,54,166.65/- (रुपये नौ करोड़ साठ लाख चौवन हजार एक सौ छियासठ और पैंसठ पैसे मात्र) के साथ ही 10-**अप्रैल**-2026 से प्रभावी उपरोक्त राशि पर अनुबंधित दरों पर आगे का ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के लिये यस बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

आपका ध्यान इस तथ्य की और आकर्षित किया जाता है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत, जहां सुरक्षित लेनदार की देय राशि के साथ सुरक्षित लेनदार द्वारा वहन किए गए सभी लागत, प्रभार और खर्चों का भुगतान सार्वजनिक नीलामी/निविदा/निजी समझौते के लिए नोटिस प्रकाशन की तारीख से पहले किसी भी समय सुरक्षित लेनदार को सौंप दिया दिया जाता है, तो उस सुरक्षित आस्ति को बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और उस सुरक्षित आस्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।

अचल संपत्ति का विवरण

अचल संपत्ति का वह पूरा हिस्सा और पार्सल जिसमें 513 वर्ग गज भूमि पर निर्मित आवासीय प्लॉट शामिल है, जो खसरा नं. 461 का हिस्सा है, जो मौजा तेजली, ई.एस.आई. अस्पताल तेजली के पीछे, कमेटी जगाधरी की सीमा के भीतर, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर, राज्य-हरियाणा में स्थित है; जिसकी मालिक श्रीमती संतोष पांडे हैं।

दिनांकः 05/07/2026, स्थानः यमुनानगर — **कृते, यस बैंक लि. (प्राधिकृत अधिकारी)**

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयान कंपाउंड, वेरावल, गुजरात – 362266
शाखा कार्यालयः आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड नंबर एन/17, प्रथम तल, विजया बिल्डिंग बाराखंभा रोड, नई दिल्ली – 110001

बिक्री नोटिस
(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9(1),)

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को निजी संधि द्वारा अचल परिसंपत्तियों की बिक्री ("सरफेसी अधिनियम")

अधोहस्ताक्षरी, जो कि आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे आगे "एबीएचएफएल कहा गया है) का प्राधिकृत अधिकारी है, ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे "सरफेसी अधिनियम, 2002 कहा गया है) की धारा 13(4) के अंतर्गत निम्नलिखित अचल संपत्ति अर्थात "यह समस्त टुकड़ा और पार्सल जोकि डीडीए निर्मित फ्री होल्ड एमआईजी फ्लैट नंबर 46, द्वितीय तल क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर ब्लॉक और पॉकेट–डी–5, सेक्टर–15, रोहिणी उत्तर पश्चिम दिल्ली, 110085 (जिसे आगे "प्रतिभूत आस्ति कहा गया है), का भौतिक कब्जा ग्रहण कर लिया है, जो एबीएचएफएल के पक्ष में प्रदत्त वित्तीय सुविधा के प्रतिभूतिकरण हेतु बंधक थी। उक्त वित्तीय सुविधा के संबंध में उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ताओं प्रदीप प्रदीप और प्रियंका प्रियंका (जिन्हें आगे "उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता कहा गया है) से रु. 1,00,07,746.00 (रुपये एक करोड़ सात हजार सात सौ छियालीस मात्र) तथा उसके वसूली तक देय आगामी ब्याज एवं उस पर व्ययित अन्य समस्त खर्च देय है।

कि प्रतिभूत आस्ति की सार्वजनिक नीलामी/ई–नीलामी असफल हो जाने के कारण, अधोहस्ताक्षरी द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रतिभूत आस्ति के विरुद्ध निजी संधि (प्राइवेट ट्रीटी) के माध्यम से विक्रय कर अपने प्रतिभूति हित का प्रवर्तन किया जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी को उपर्युक्त प्रतिभूत आस्ति के क्रय हेतु एक संभावित क्रेता से अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। अतः प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रतिभूत आस्ति को निजी संधि (प्राइवेट ट्रीटी) के माध्यम से विक्रय करने की यह सूचना देता है। उक्त विक्रय "जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है" तथा "जो कुछ है उसी आधार पर" के आधार पर दिनांक 27.07.2026 अथवा उसके पश्चात किया जाएगा, ताकि एबीएचएफएल के देय रु. 1,00,07,746.00 (रुपये एक करोड सात हजार सात सौ छियालीस मात्र) की वसूली उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं से की जा सके। उक्त प्रतिभूत आस्ति का आरक्षित मूल्य रु.90,00,000/– (रुपये नब्बे लाख मात्र) निर्धारित किया गया है।

उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि "सरफेसी अधिनियम, 2002" तथा "प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002" के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित समस्त औपचारिकताओं का अनुपालन किया जा चुका है तथा एबीएचएफएल द्वारा अब "प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002" के नियम 8(5) के प्रावधानों के अनुसार निजी संधि (प्राइवेट ट्रीटी) के माध्यम से, यथोक्त प्रतिभूत आस्ति का विक्रय कर अपने प्रतिभूति हित का प्रवर्तन किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं का ध्यान "सरफेसी अधिनियम, 2002" की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अंतर्गत उक्त प्रतिभूत आस्ति के विमोचन हेतु उपलब्ध समय का प्रावधान किया गया है।

दिनांकः 05.07.2026, स्थानः दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

फॉर्म नं. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र-1, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6)(क) के मामले में

तथा

अग्रिम फैब्रिकेशन प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय मकान नं. 621/9, प्रथम तल, 18 क्वार्टर, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, 110032, के मामले में

..... याचिकाकर्ता

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **"रा.रा.क्षेत्र दिल्ली"** से बदलकर **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए शनिवार, 04-07-2026 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति उसके नीचे दिए गए पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र-1 के कार्यालय को उनके पतेः बी-2 विंग, 2 रा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेः

अग्रिम फैब्रिकेशन प्रा. लि.
621/9, प्रथम तल, 18 क्वार्टर, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032.

कृते एवं की ओर से
अग्रिम फैब्रिकेशन प्रा. लि.
हस्ता./-
मनीष अग्रवाल
निदेशक
डीआईएनः 01646978

दिनांकः 04.07.2026
स्थानः नई दिल्ली

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 6वीं मंजिल, बी–बिल्डिंग, गंगा टूनो बिजनेस पार्क, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र – 411014,

परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें)
कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जिसे इसके बाद उपरोक्त कॉर्पोरेट/पंजीकृत कार्यालय का सुरक्षित लेनदार कहा जाएगा। के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना निम्नवर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें निम्नवर्णित कर्जदारों से सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतद्द्वारा कर्जदारों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग के अंतर्गत नीचे वर्णित दिनांक को ले लिया है। कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इन सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि और उस पर ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण यहां नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कब्जा सूचना की तिथि	सांविधिक मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना में राशि (रु.)
1..	अभिषेक चौधरी, एस के एंड संस, एस के भट्टा कंपनी, अभिषेक ब्रिक्स एंड कंपनी, ब्रह्मपाल सिंह, आशा चौधरी,	समस्त वह संपत्ति, जो फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट संख्या 3, क्षेत्रफल 299 वर्ग गज, खसरा संख्या 1383, केशव विहार कॉलोनी, हदबस्त ग्राम नूर नगर, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद में स्थित इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं पूर्वः प्लॉट संख्या 13 एवं 14, पश्चिमः 25 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः प्लॉट संख्या 1, 2, 15 एवं 16 तथा दक्षिणः प्लॉट संख्या 4	30/06/2026	09/04/2026	ऋण सं. **HM0399H17100017** रु. **1,03,525/-** (रु. एक लाख तीन हजार पाँच सौ पच्चीस मात्र) 09.04.2026 तक देय, साथ ही वसूली तक @16 प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित ऋण सं. **HL0399H17100001** रु. **24,30,012/-** (रु. चौबीस लाख तीस हजार बारह मात्र) 09.04.2026 तक देय, साथ ही वसूली तक @16 प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित
2.	लक्ष्मण एल, सिमरन देवजानी,	समस्त वह फ्रीहोल्ड आवासीय अपर ग्राउंड फ्लोर, बिना छत/टेरेस अधिकारों सहित, जो संपत्ति संख्या 47 पर निर्मित क्षेत्रफल 90 वर्ग गज अर्थात 75.24 वर्ग मी., जो खसरा संख्या 18/18, 19 एवं 23 में से राजस्व ग्राम मटियाला, राज्य दिल्ली, कॉलोनी न्यू टी–ब्लॉक, फेज–II, उत्तम नगर, नई दिल्ली 110059 दस्तावेजों के अनुसार इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं पूर्वः सड़क, पश्चिमः अन्य संपत्ति, उत्तरः सड़क तथा दक्षिणः अन्य संपत्ति	29/06/2026	09/01/2026	ऋण सं. **LAP07072000000005063367** रु. **21,97,385/-** (रु. इक्कीस लाख सत्तान्वे हजार तीन सौ पिचासी मात्र) 09.01.2026 तक देय, साथ ही वसूली तक @16 प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित
3	उमेश वर्मा, बागवती बागवती, मोनिका मोनिका, जय किशन	समस्त वह आवासीय डुप्लेक्स मकान, जिसका भूमि क्षेत्रफल 66.88 वर्ग मीटर है, जो आबादी धनौरा सिल्वर नगर, परगना बरौत, तहसील एवं जिला बागपत इसकी सीमाएँ इस प्रकार है पूर्वः सुरेन्द्र का मकान, पश्चिमः 16 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः शोराज का मकान तथा दक्षिणः धनपाल का मकान	30/06/2026	09/07/2025	ऋण सं. **LAP06052000000005028228** रु. **13,24,707/-** (रु. तेरह लाख चौबीस हजार सात सौ सात मात्र) 09.07.2025 तक देय, साथ ही वसूली तक @16.35 प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित

किसी भी मामले में यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशन की सामग्री के बीच कोई अंतर है, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र भाषा की सामग्री मान्य होगी।

स्थानः दिल्ली,
दिनांकः 05.07.2026
हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

बजाज फाइनैंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बजाज फाइनैंस लिमिटेड, सी/ओ बजाज ऑटो लिमिटेड कॉम्प्लेक्स, मुंबई पुणे रोड आकुर्डी पुणे–411035 **शाखा पता :** एससीओ 57, 58 एवं 59, प्रथम और द्वितीय तल, सेक्टर–17ए, चंडीगढ़–1600017

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4). प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1). (परिशिष्ट–IV) के तहत

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स बजाज फाइनैंस लिमिटेड (बीएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों)/सह कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को मांग सूचना(एं) जारी की थीं, जिनमें उनसे सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। निम्नवर्णित नामक कर्जदार/बंधकदाता/गारंटर उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों/बंधकदाताओं/ गारंटरों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स बजाज फाइनैंस लिमिटेड की ओर से उक्त नियमावली के नियम 8–(1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। कर्जदारों/बंधकदाताओं/ गारंटरों को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार कर्जदारों पर बीएफएल की इसमें वर्णित राशि(यों) तथा उस पर ब्याज के प्रथम प्रभार के अधीन होगा।

ऋण खाता सं./ कर्जदार(रों)/ गारंटर(रों) का नाम (एलएएन नंबर, शाखा का नाम)	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का वर्णन	मांग सूचना तिथि एवं राशि	कब्जा की तिथि
शाखा : चंडीगढ़ **(लैन नं. P440PCD8827342 और P440PCD9080360** **1. भोबाइल कैफे (उधारकर्ता)** **पता :** – 22, साइंस मार्केट, हरगुलाल धर्मशाला के सामने, अम्बाला, हरियाणा–133301, हरियाणा **2. हली (सह–उधारकर्ता)** **3. पूनम (सह–उधारकर्ता)**	निम्नानुसार वर्णित गैर–कृषि संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट नंबर 95 पर निर्मित मकान म्युनिसिपल नंबर, परिमाप 67.726 वर्ग मीटर यानी 81 वर्ग गज, खसरा नंबर 37//1/1/1/2 में शामिल, जो गांव बब्याल, न्यू दयाल बाग अंबाला कैंट, तहसील और जिला अंबाला में स्थित है। तहसील अंबाला और जिला– अंबाला। मालिकाना हक रजिस्टर्ड ट्रांसफर डीड नंबर 2231 दिनांकित 08–09–2016 के अनुसार, चौहद्दी – उत्तर – गली 15 फीट चौड़ी (16'6") दक्षिण – अन्य का मकान (16.6') पूर्व – एच नंबर 94 (कमल कांत का) (44') पश्चिम एच नंबर 94 (सुखबीर सिंह का) (44')	16–अप्रैल–2026 रु. 26,10,271/– **(रु. छब्बीस लाख दस हजार दो सौ इकहत्तर) 16/04/2026 तक बकाया**	02–07–2026

सभी का पता : –मकान नंबर 95, न्यू दयाल बाग, बब्याल रोड, अम्बाला कैंट, अम्बाला, हरियाणा–133001, हरियाणा

तिथि : 05–07–2026 स्थान :– अम्बाला — **प्राधिकृत अधिकारी, बजाज फाइनैंस लिमिटेड**

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 और सी55, 4 तिरु वि का औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई–600032

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के साथ पठित (नियम 8 और 9) और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस

**इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता /सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता को यह सूचना दी जाती है कि सुरक्षित ऋणदाता को गिरवी रखी गई नी